

प्रेषक,

डा० अशोक कुमार वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा, मीरजापुर, ललितपुर, महोबा, आगरा, जालौन, चित्रकूट, आजमगढ़, कानपुर देहात, हमीरपुर,
मुरादाबाद, इलाहाबाद, अमेठी, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, फतेहपुर, बरेली, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़,
झांसी, रामपुर, शाहजहाँपुर, मथुरा, कुशीनगर, बुलन्दशहर, बलिया, गोरखपुर, सम्भल, गौतमबुद्धनगर,
हाथरस, मैनपुरी, अलीगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमरोहा, गाजीपुर, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई,
अम्बेडकरनगर, सीतापुर, वाराणसी, जौनपुर, चन्दौली, देवरिया, बस्ती एवं संत कबीरनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 20 नवम्बर, 2015

विषय: प्रदेश में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुई क्षति के
सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से फसलों को हुई क्षति के
सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये वित्तीय
वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ₹0 201,59,00,000/- (रुपये दो सौ
एक करोड़ उनसठ लाख मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	धनराशि (लाख में)
1	बांदा	1500
2	मीरजापुर	100
3	ललितपुर	1500
4	महोबा	1500
5	आगरा	200
6	जालौन	1500
7	चित्रकूट	1500
8	आजमगढ़	159
9	कानपुर देहात	300
10	हमीरपुर	1500
11	मुरादाबाद	400
12	इलाहाबाद	200
13	अमेठी	100
14	कन्नौज	200
15	कानपुर नगर	200

16	खीरी	100
17	फतेहपुर	400
18	बरेली	100
19	फिरोजाबाद	150
20	प्रतापगढ़	200
21	झांसी	1500
22	रामपुर	200
23	शाहजहाँपुर	200
24	मथुरा	1500
25	कुशीनगर	150
26	बुलन्दशहर	200
27	बलिया	100
28	गोरखपुर	100
29	सम्भल	150
30	गौतमबुद्धनगर	150
31	हाथरस	200
32	मैनपुरी	300
33	अलीगढ़	150
34	कौशाम्बी	150
35	बाराबंकी	300
36	सुल्तानपुर	100
37	अमरोहा	150
38	गाजीपुर	400
39	लखनऊ	300
40	रायबरेली	250
41	हरदोड़	300
42	अम्बेडकर नगर	100
43	सीतापुर	350
44	वाराणसी	150
45	जौनपुर	200
46	चन्दौली	200
47	देवरिया	150
48	बस्ती	250
49	संतकबीरनगर	100
योग		20159
रूपये दो सौ एक करोड़ उनसठ लाख मात्र		

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशेर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण रहित-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-05-नैशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।



3- सीमित धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि प्रथमतः लघु एवं सीमान्त कृषकों को ही प्रदान की जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन एवं मद में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य किसी भी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा। ऐसा व्यय जिसके लिये बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा। इस स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले ₹0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा ₹0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5- इस धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

6- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय। उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये। व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर व्यय-विवरण शासन को प्रेषित किया जाय।

7- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

भवदीय,

(डा0 अशोक कुमार वर्मा)
सचिव।

संख्या:- ॥ ५५ (1)/1-10-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/अडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,


(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-24/11/2015

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

29
029-1-10-2015
में राहत(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
05 - नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	आधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 110000000	20000000 110000000
2	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 65000000	15000000 65000000
3	मथुरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000000 510000000	150000000 510000000
4	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 170000000	20000000 170000000
5	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 110000000	30000000 110000000
6	बरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 50000000	10000000 50000000
7	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	40000000 210000000	40000000 210000000
8	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 130000000	20000000 130000000
9	रामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 140000000	20000000 140000000
10	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 50000000	20000000 50000000
11	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	40000000 270000000	40000000 270000000
12	इलाहाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 190000000	20000000 190000000
13	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 470000000	15000000 470000000
14	जालौन-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 450000000	15000000 450000000
15	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 470000000	15000000 470000000
16	बाँदा -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 490000000	15000000 490000000
17	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 55000000	15000000 55000000
18	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 50000000	10000000 50000000
19	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 90000000	20000000 90000000
20	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	40000000 210000000	40000000 210000000
21	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 50000000	10000000 50000000
22	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 50000000	10000000 50000000
23	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 125000000	25000000 125000000
	आजमगढ़-4217-	वर्तमान	15900000	15900000

24	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	45900000	45900000
	देवरिया-4217-	वर्तमान	15000000	15000000
25	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	65000000	65000000
	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-	वर्तमान	30000000	30000000
26	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	100000000	100000000
	रायबरेली-4217-	वर्तमान	25000000	25000000
27	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	155000000	155000000
	सीतापुर-4217-	वर्तमान	35000000	35000000
28	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	215000000	215000000
	हरदोई-4217-	वर्तमान	30000000	30000000
29	जिलाधिकारी, --01-	प्रगामी	170000000	170000000
	लखीमपुर खीरी-4217-	वर्तमान	10000000	10000000
30	जिलाधिकारी, --01-	प्रगामी	40000000	40000000
	मुल्तानपुर-4217-	वर्तमान	10000000	10000000
31	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	30000000	30000000
	प्रतापगढ़-4217-	वर्तमान	20000000	20000000
32	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	160000000	160000000
	बाराबंकी-4217-	वर्तमान	30000000	30000000
33	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	110000000	110000000
	ललितपुर-4217-	वर्तमान	150000000	150000000
34	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	610000000	610000000
	कानपुर देहात-4217-	वर्तमान	30000000	30000000
35	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	220000000	220000000
	फिरोजाबाद-4217-	वर्तमान	15000000	15000000
36	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	85000000	85000000
	महोबा-4217-	वर्तमान	150000000	150000000
37	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	440000000	440000000
	कुशीनगर-4217-	वर्तमान	15000000	15000000
38	जिलाधिकारी, --01-	प्रगामी	65000000	65000000
	अम्बेदकर नगर-4217-	वर्तमान	10000000	10000000
39	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	30000000	30000000
	गौतमबुद्ध नगर-4217-	वर्तमान	15000000	15000000
40	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	55000000	55000000
	चन्दौली-4217-	वर्तमान	20000000	20000000
41	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	100000000	100000000
	हाथरस-4217-	वर्तमान	20000000	20000000
42	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	100000000	100000000
	संत कबीर नगर-4217-	वर्तमान	10000000	10000000
43	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	40000000	40000000
	कौशाम्बी-4217-	वर्तमान	15000000	15000000
44	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	65000000	65000000
	कन्नौज-4217-	वर्तमान	20000000	20000000
45	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	50000000	50000000
	अमरोहा-4217-	वर्तमान	15000000	15000000
46	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	55000000	55000000
	चित्रकूट-4217-	वर्तमान	150000000	150000000
47	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	370000000	370000000
	अमेठी-4217-	वर्तमान	10000000	10000000
48	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	60000000	60000000
	सम्बल-4217-	वर्तमान	15000000	15000000
49	जिलाधिकारी, --01--	प्रगामी	65000000	65000000
	योग	वर्तमान	2015900000	2015900000
		प्रगामी	8015900000	8015900000

महायोग- (वर्तमान आवंटन) -

रुपया दो अरब एक करोड़ उनसठ लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन) -

रुपया आठ अरब एक करोड़ उनसठ लाख

(शिव-राम)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी